

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत द्वारा प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक सड़क निर्माण कार्य (गैरवानिकी कार्य) किये जाने हेतु वनभूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, वन प्रभाग के पत्रांक 5234/12(112) दिनांक 15.06.10 के कम में दिनांक 22.06.10 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्तावित विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों, द्वारा किया गया :-

- 1) श्री रणजीत सिंह अधिकारी वन क्षेत्राधिकारी जौरासी।
- 2) श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
- 3) श्री एस0 पी0 एस0 नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता/श्री नन्दन सिंह (अमीन), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
- 4) श्री हरिश्चन्द्र पांडे वन दरोगा।
- 5) श्री ..... वनाधिकारी।
- 6) श्री एस.सी. पपनोई पटवारी प्रतिनिधि राजस्व विभाग।

(1) लोक निर्माण विभाग जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग की लम्बाई 1.825 किमी0 व चौड़ाई 9 मी0 प्रस्तावित की गई है, जो कि अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत निम्न आरक्षित/सिविल वन क्षेत्र एवं नाप भूमि में पड़ेगी, विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.स. | वन प्रभाग व कक्ष संख्या/सिविल व नापभूमि | प्रस्तावित कार्य                                                                                                                                 | आपेक्षित वनभूमि की लम्बाई, चौड़ाई (मी0 में) |        |           |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
|        |                                         |                                                                                                                                                  | लम्बाई                                      | चौड़ाई | क्षेत्रफल |
| 1      | -                                       | जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट -चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। | -                                           | -      | -         |
| 2      |                                         |                                                                                                                                                  |                                             |        |           |

### 2- वन पंचायत भूमि :-

|   |           |      |     |   |                           |
|---|-----------|------|-----|---|---------------------------|
| 1 | नगरकोटिया | तदैव | 530 | 9 | 4770 वर्ग मी. (0.477 है०) |
| 2 |           |      |     |   |                           |

### 3- सिविल भूमि :-

|   |               |      |    |   |                          |
|---|---------------|------|----|---|--------------------------|
| 1 | ढोड़ियाल बाखल | तदैव | 20 | 9 | 180 वर्ग मी. (0.018 है०) |
|   |               |      |    |   |                          |

### 4- नाप भूमि :-

|   |                          |      |      |   |                             |
|---|--------------------------|------|------|---|-----------------------------|
| 1 | नगरकोटिया, ढोड़ियाल बाखल | तदैव | 1275 | 9 | 11475 वर्ग मी0 (1.1475 है०) |
|   |                          |      |      |   |                             |

(2) अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल भूमि का विवरण निम्न है :-

|    |                              |        |
|----|------------------------------|--------|
| 1. | वन पंचायत भूमि               | -      |
| 2. | ग्राम - नगरकोटिया            | 0.477  |
| 3. | वन पंचायत भूमि ढोड़ियाल बाखल |        |
| 4. | सिविल                        | 0.018  |
|    | योग                          | 0.0495 |

(3) इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित 0.495 है० वन भूमि तथा नाप भूमि का भी निरीक्षण किया गया एवं भूमि में स्थित समस्त बाधक 199 वृक्षों की गणना कर वृक्षों पर पेंट से कमांक अंकित किये गये हैं, जिनकी सूची तैयार कर पृथक से संलग्न की जा रही है तथा सारांश निम्न है :-

## सारांश

| क्र. स. | वनभूमि का विवरण           | प्रजाति | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |     |
|---------|---------------------------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|         |                           |         | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | योग |
| 1       | नगर के विद्यालय के पंचायत | चीड़हरा | —          | 91    | 65    | 24    | —     | —     | —     | 180 |
| 2       | कोडियाल कारवल             | चीड़हरा | —          | 4     | 6     | 5     | —     | —     | —     | 15  |
| 3       |                           |         | —          | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —   |
| 4       |                           |         | —          | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —   |
|         | कुल योग :-                |         | —          | 95    | 71    | 33    | —     | —     | —     | 199 |

(4) प्रस्तावित समरेखण में वृक्ष सघन रूप से विद्यमान हैं। स्थल का घनत्व .04 से 05 के बीच है। प्रस्तावित स्थल की तथा जी0पी0एस0 रीडिंग निम्न प्रकार है।

(5) आपेक्षित <sup>वन प्रेयायत</sup> ~~वनभूमि~~ 0.47 हे० सिविल भूमि 0.618 हे० कुल 0.495 हे० के दुगने क्षेत्रफल 0.99 हे० अर्थात् 1.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ~~पंचायत~~ <sup>सिविल</sup> चयनित किया गया है जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से लगभग 1 किमी० है तथा चयनित क्षेत्र का घनत्व 04 से 05 हैं।

(6) क्षेत्र के ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न होने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु इस संबंध में आमसभा का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित से लिया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु उक्त आपेक्षित भूमि न्यूनतम है एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण के संरेखण हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

(7) चूँकि प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मांग की जा रही है, फलस्वरूप इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित विभाग को निर्धारित फॉरमेट/प्रक्रिया के अनुरूप FAC 1980 के तहत प्रस्तावित निर्माण हेतु आपेक्षित 0.495 हे० वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभाषीय प्रशासिकारी

|              |                                              |              |                  |                                        |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|
| राजस्व विभाग | कनिष्ठ अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रानीखेत | उपजिलाधिकारी | जिलाधिकारी       | प्रभाषीय प्रशासिकारी                   |
|              |                                              |              | प्रतिहस्ताक्षरित | प्रभाषीय प्रशासिकारी, मोहान, वन प्रभाग |

बटवारी  
प्रा.ख.वि.वि.

अध्यक्ष अभियन्ता  
प्रा० ख० लो० नि० वि०  
रानीखेत

अधीनस्थ अभियन्ता  
प्रा० ख० लो० नि० वि०  
रानीखेत

उपजिलाधिकारी,  
प्रक्रियासंग (उत्तराखण्ड)

सहायक वन प्रबंध (वन्योद)।

सहायक वन प्रबंध (वन्योद)।